प्रेस नोट
मीरजापुर पुलिस

दिनांकः24.01.2025

थाना अदलहाट पुलिस द्वारा 90 लीटर अवैध/अपमिश्रित कच्ची देशी शराब के साथ 06 अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार, 03Kg यूरिया एवं शराब बनाने में प्रयुक्त भट्ठी सहित अन्य उपकरण व सामग्री बरामद —

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'सोमेन बर्मा' द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री, अवैध/अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में थाना अदलहाट पुलिस बल द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। आज दिनांकः24.01.2025 को थाना अदलहाट पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना अदलहाट क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोल्हुआ व परसिया में स्थित ईंट भट्ठा पर दबिश देकर 06 अभियुक्त/अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से प्लास्टिक की पिपिया में रखी कुल 90 लीटर अवैध/अपमिश्रित कच्ची देशी शराब, शराब को तीक्ष्ण बनाने में प्रयुक्त 03 किग्रा यूरिया एवं शराब बनाने में प्रयुक्त भट्ठी सहित अन्य उपकरण व सामग्री बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-22/2025, 23/2025, 24/2025 समस्त अन्तर्गत धारा 60(A)आबकारी अधिनियम व 274 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त/अभियुक्ता को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता —

1.फुलेश्वर उराव पुत्र सोमा उराव निवासी बहदुरा थाना घाघरा, झारखण्ड।
2.नकेश उराव पुत्र भिखवा उराव निवासी चेनहा थाना सेनहा, झारखण्ड।
3.सूरजनाथ पुत्र विरसू निवासी सुपवन थाना भरनो जनपद गुमला, झारखण्ड।
4.प्रमोद राम पुत्र विफर्ड निवासी रोनिहा थाना कुडूर थाना लोहरदगा, झारखण्ड।
5.सुनीता पत्नी सुनील निवासिनी गम्हरिया थाना गुमला, झारखण्ड।
6.मगरी पत्नी बुधुवा निवासिनी लोहरदगा थाना लोहरदगा रांची, झारखण्ड।

विवरण बरामदगी —

प्लास्टिक की 06 अदद पिपिया में रखी 15-15 लीटर, कुल 90 लीटर अवैध/अपमिश्रित कच्ची देशी शराब, 03Kg यूरिया एवं शराब बनाने में प्रयुक्त भट्ठी सहित अन्य उपकरण व सामग्री।

पंजीकृत अभियोग —

1.मु0अ0सं0-22/2025 धारा 60(A)आबकारी अधिनियम व 274 बीएनएस थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
2.मु0अ0सं0-23/2025 धारा 60(A)आबकारी अधिनियम व 274 बीएनएस थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
3.मु0अ0सं0-24/2025 धारा 60(A)आबकारी अधिनियम व 274 बीएनएस थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक अभयनारायण सिंह, योगेन्द्र प्रताप सिंह व कमला प्रसाद शर्मा थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।
मुख्य आरक्षी जसवन्त सिंह, दारा सिंह, विनय कुमार सिंह, रामप्यारे सरोज व गौरव प्रताप सिंह।
आरक्षी अजय सिंह व महिला आरक्षी सविता चौरसिया।